



प्रकरण क्रमांक... K.2.193.2015.14... जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-15	<p>कोर्ट के आदेश की वी.पी.के. के द्वारा  कार्यवाही के लिए उपस्थित होकर बताया  कि इस प्रकरण के अंतर्गत के कदम के अंतर्गत  रजि.नामा को रखा है। कोर्ट के आदेश के अंतर्गत  कोर्ट के आदेश 23 नियम 1 की पी.पी. प्रत्येक किताब  के अंतर्गत प्रकरण को रखा गया नहीं  पाए है। उनका अनुबंध है कि प्रकरण  आपसी रजि.नामा के आधार पर ही रखा  या समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(1) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">MSA 6-2-2015</p> <p style="text-align: right;">6/2/15</p>